

Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in
8th July, 2011
Dated

No. C-42/2011-MPLADS

To

The Nodal Secretaries of States/UTs
Commissioner Municipal Corporation of
Delhi/Kolkata/Chennai/Mumbai
District Collector/District Magistrates/Deputy Commissioners,
All Districts.

Sub: Modifications of MPLAD Guidelines – regarding.

Sir/Madam,

The Ministry is in the process of making the guidelines on MPLAD Scheme simple, clear and understandable. Accordingly, it has been decided to substitute the following with the existing paras 2.1 to 2.3 of the existing guidelines:-

2.1 The MPLADS is a Plan Scheme fully funded by Government of India. The annual MPLADS fund entitlement per MP constituency is Rs. 5 crore.

2.2 Lok Sabha Members can recommend works within their Constituencies. Elected Members of Rajya Sabha can recommend works within the State of Election. Nominated Members of both the Rajya Sabha and Lok Sabha can recommend works, anywhere in the country.

2.3 A Member of Parliament shall give his choice of Nodal District in Annexure I of the guidelines to the Ministry of Statistics and Programme Implementation with copy to the State Government and to the District Magistrate of the chosen District. If a Lok Sabha Constituency is spread over more than one District, the Member of Parliament can choose any one of the Districts as Nodal Districts in his/her constituency. The Rajya Sabha MP can choose any District in his/her State of Election as Nodal District. Nominated Members of both Rajya Sabha and Lok Sabha can choose, any District in the country as Nodal District.

4. This issues with the approval of Hon'ble Minister of S&PI.

Yours faithfully,



(A.K. Choudhary)
Director (MPLADS)
Tel. 23344933

Copy for information to:

1. All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha).
2. Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
3. Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
4. To all concerned in MPLADS Division.
5. NIC for uploading on the MPLADS Website.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated

सं.सी-42/2011-एमपीलैड्स

दिनांक: 8 जुलाई, 2011

सेवा में,

राज्यों/संघ शासित राज्यों के नोडल सचिव
दिल्ली/कोलकाता/ चेन्नई/मुंबई के नगर निगम आयुक्त
सभी जिलों के जिला कलेक्टर /जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: एमपीलैड दिशा-निर्देशों में संशोधन के बारे में ।

महोदय/महोदया,

मंत्रालय, एमपीलैड योजना के दिशा-निर्देशों को सरल, स्पष्ट व समझने योग्य बनाने की प्रक्रिया में है । तदनुसार, वर्तमान दिशा-निर्देशों में विद्यमान पैरा 2.1 से 2.3 को निम्नानुसार परिवर्तित करने का निश्चय किया गया है:-


2.1 एमपीलैड एक योजना स्कीम है जो पूर्णतया भारत सरकार से वित्त पोषित है । प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष एमपीलैड्स कोष से 5 करोड़ रुपए पाने का हक है ।

2.2 लोक सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं । राज्य सभा के चयनित सदस्य अपने निर्वाचन राज्य के अंदर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं । राज्य सभा और लोक सभा, दोनों के नामित सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं ।

2.3 सांसद अपने चयनित नोडल जिले की जानकारी दिशा-निर्देशों के अनुबंध-I में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को तथा एक प्रतिलिपि राज्य सरकार एवं चयनित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं । यदि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला है तो सांसद किसी एक जिले को अपने निर्वाचन क्षेत्र का नोडल जिला चुन सकता है । राज्य सभा सांसद अपने निर्वाचन राज्य से किसी भी जिले को नोडल जिला चुन सकता है । राज्य सभा व लोक सभा के नामित सदस्य देश के किसी भी जिले को नोडल जिला चुन सकते हैं ।

4. इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय



(ए.क. चौधरी)

निदेशक (एमपीलैड्स)

दूरभाष: 23344933

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय सांसद (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स की राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. एमपीलैड्स की लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स प्रभाग से संबंधित अधिकारी ।
5. एनआईसी को एमपीलैड्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।